निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 27 / 2022
दायरा दिनांकः—09.05.2022
निर्णय दिनांकः— 30.10.24

उनवान

1. बृजमोहन आयु 40 वर्ष आत्मज कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कन्हैयालाल आयु 70 वर्ष पुत्र जगन्नाथ
2. घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल
3. भजन पुत्र कन्हैयालाल
4. बाबुलाल पुत्र कन्हैयालाल
5. गोपाल पुत्र कन्हैयालाल
6. मूर्तिबाई बेवा प्रेमलाल
7. रतनलाल पुत्र सेवालाल जातियान मीणा निवासीगण ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 30.10.24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 8 की खसरा नंबर 24 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 25 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 36 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 43 रकबा 12 बीघा 11 बिरवा, खसरा नंबर 65 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 66 रकबा 13 बिस्वा कुल किता छह रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा वाके माल ककरवां एवं खाता संख्या 6 की खसरा नंबर 10 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा वाके माल रीछड़ी जागीर एवं खाता संख्या 9 की खसरा नंबर 13/2 रकबा 05 बीघा, खसरा नंबर 115/2 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल किता दो रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा वाके माल ककरवां तहसील छबड़ा में स्थित है। जो कि प्रार्थी के दादा जगन्नाथ के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है अर्थात उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। जिस पर प्रार्थी का पूर्णरूप से हक एवं अधिकार है। अप्रार्थी कम 1 ने अप्रार्थी कम 2 व 3 को तो हिस्सा बांट बराबर दे दिया है एवं प्रार्थी ने अप्रार्थी कम से कहा कि आपने अप्रार्थी कम 1 व 2 को तो हिस्सा दे दिया है और मुझे अपने दादा की सम्पत्ति में से क्यों महरूम कर रखा है। जिस पर अप्रार्थी कम 1 ने जवाब दिया कि यह सम्पत्ति मेरे पिताजी से मेरे नाम आई थी, मैं खातेदार हूं, मैं चाहू तो हिस्सा दूं अन्यथा नहीं दूं, यह मेरी मर्जी पर निर्भर करता है और मैं तुझे इस सम्पत्ति से महरूम करके रहूंगा और तुझे कोई हिस्सा नहीं दूंगा। यह तारीख दिनांक 26.04.2022 ही इस वाद की बिनायदावा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने दादा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सम्पत्ति में से अपना हिस्सा अलग करवाकर खुद के खाते दर्ज करवा सके। यह कार्य ना न्यायालय की सहायता के सम्मत नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी कम । हठधर्मिता एवं जिद के चलते प्रार्थी को उसका हिस्सा सहमति से मिलना संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थी को माननीय न्यायालय की शरण में आकर कानूनन रूप से अपना हक एवं हिस्सा अपने दादा की सम्पत्ति में प्राप्त कर अपना खाता पृथक कर स्वयं को खातेदार कृषक दर्ज कराने का अधिकारी एवं नालिसी है। अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी को उसके हक से महरूम कर दिया और भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थिति नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा आपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडी जागीर सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 16 नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडी जागीर सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 16 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ककरवां तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के दादा जगन्नाथ के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है उक्त आराजी पैत्रक आराजी है जिस पर प्रार्थी का पूर्वरूप से हक एवं अधिकार है अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 व 3 को भूमि दे दी प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि नही दी। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी को भूमि देने से इन्कार करने पर प्रार्थी द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। अप्रार्थी क्रम विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द बेचान करने पर आमादा हे अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। की विवादित आराजी का रहन बेचान नही करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडी जागीर सम्वत् 2038–38 खाता संख्या 16 के अनुसार तुलसी राम पुत्र मोतीलाल प्रताप पुत्र मांगीलाल जाति गडरिया के नाम दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ग्राम ककरवां की भूमि का पेश किया गया है तथा जमाबन्दिया ग्राम रीछडी जागीर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि एवं जमाबन्दी में अंकित भूमि एवं गांव भिन्न भिन्न है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित गांव की भूमि एवं जमाबन्दी में अंकित गांव की भूमि भिन्न भिन्न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा